

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पाली

पता : मण्डिया रोड, पाली दूरभाष नम्बर : 02932-250250 ईमेल : cdeopali@gmail.com

क्रमांक : मुजिशिअ/पाली/संस्था/2026/634

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

विज्ञप्ति

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 632 दिनांक 25.08.2026 एवं समसंख्यक पत्रांक 633 दिनांक 27.08.2025 को प्रत्यारित करते हुए श्रीमान् निदेशक महोदय राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/गेस्ट फ़ैकल्टी/1226/2026-255528-5729091 राजकाज रेफरेंस नम्बर 24275528 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा प्राप्त नवीन निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F-17(10)Edu-1/Q-Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं. 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फ़ैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएं/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यता :-

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :

- गेस्ट फ़ैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
- सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
- सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
- भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियां :-

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन :-

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <https://education.rajasthan.gov.in> पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया :-

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Deva Ram
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026.08.28 15:17:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24284668
M e-Sign



(5) वरीयता का निर्धारण :-

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैंकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैंकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी :-

क्र.स.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय :-

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैंकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा :-

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1.	01 प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रु.	30000 रु.

(8) अन्य शर्तें :-

- चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैंकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- गेस्ट फैंकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।
- उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैंकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही हैं अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैंकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
- गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित हैं।

Signature valid

Digitally signed by Deva Ram
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026.08.28 15:17:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24284668
M e-Sign

vi- गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी :- (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04 :00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थायी) तैयार कर जारी करना एवं अस्थायी वरीयता सूची में आपतियाँ माँगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 03-03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

(देवाराम)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा पाली

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर पाली।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला पाली।
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा पाली
Digitally signed by Deva Ram
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026.08.28 15:17:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24284668
Me-Sign